

2019/00086

P.V. पालकप्राप्त

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
धारा 53	38/19	25.6.19	22/7/24 कैराल	22/7/24
वाद-फै				

अनवान

श्री गिरिराज कोश्यरवाल

श्री संतोष, दुर्गा, फाति

निवासी कोटा

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री 0.P. शर्मा

श्री .....

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

590 मुकाम

विंडीय

दाररुज बनाम

लंतोद

53 बाका

नं.

38/19

वर्ष

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

वादपत्र सींगे से बाद जाँच पेश हुआ।  
वकील वादी उप.। वादपत्र दर्ज रजि. किया  
जाकार विपक्षीगण की तरफी जरिये नोटिस  
मय नकल वादपत्र भेज की जावे। पत्रावली  
दिनांक 31.7.2019 को वास्तु जवाब पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक बादी/पतिवली  
उपस्थित प्रीकाम #0. सा. वीरे पर है। प्र. 2019  
दिनांक 28.8.19 को वास्तु जवाब पेश हो।

र.  
उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप.।  
प्रतिवादीगण 1, 3, 6, 9 के सम्मन बाद  
तामिल प्राप्त। जो शामिल पत्रावली किया  
गया। प्रतिवादीगण सं. 3, 4, 5, 6 की ओर से  
अधिकारता ही दिनेश सन्तु तम्बोली व  
नितिन सारवत ने अधिकार पत्र पेश  
किया जो शामिल पत्रावली किया गया।  
प्रतिवादीगण सं. 1 को जवाब लगाई गयी  
गौर हाजिर एक तरफा कार्यवाही के  
आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण सं.  
2, 7, 8 की तामिल प्रोसेस पुनः प्रस्तुत  
करे। पत्रावली वास्तु जवाब। तरफी दिनांक  
19.9.19 को पेश हो।

हुक्म

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली  
दिनांक 14.12.21 को वास्ते तलाबी / पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

9/21

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली  
दिनांक 25.12.21 को वास्ते तलाबी / पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

14/21

8/25

पत्रावली पेश हुई। वादी के इनचिवक्ता/उप.  
प्रतिवादी सं. 8 गुलाबी कार की तामिल  
जारी अखबार में छाया लेकर ले चुकी है।  
प्रतिवादी सं. 8 की ओर से न ले स्वयं उप.  
है और न ही उादी. उपस्थित है। अतः  
प्रतिवादी सं. 8 के विरुद्ध रकतरफा कार्यवाही  
की जाती है। पत्रावली वाले बमान वादी  
हुड दि. 30.9.21 को पेश हो।

24/21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में पेश हुई  
पक्षकार वादी/प्रतिवादी अनन्त/पैर हाजिर पक्षकारों में  
सहमति नहीं बनने से राजीनामा नहीं ले सका।  
पत्रावली दि. 23.12.21 को वास्ते तलाबी पेश हुई।

(उपखण्ड अधिकारी)  
विजैलियाँ (भीलवाड़ा)

23/21

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित,  
वकीलवादी साक्ष्य हुड अक्षर-चाहता है। जा  
दिया जाना है पत्रावली साक्ष्य वादी दिनांक  
12.01.2022 को पेश हो।

12/21

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी  
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली  
दिनांक 16.2.22 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलिया

गिरीराज बनाम

सतोव

S3

किस्म मुकदमा

नं.

38/19

वर्ष

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17-3-23 को वास्ते स्ना. प्रतिपेश हो।</p> <p><i>govt</i> उप खण्ड अधिकारी</p>	
17/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 20/4/23 को वास्ते स्ना. प्रतिपेश हो।</p> <p><i>govt</i> उप खण्ड अधिकारी</p>	
20/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। सक्ष्य प्रतिवादी को बन्द करके के आदेश दिए जाते हैं। P.O. पालगा के जारी होकर, तहसीलदार बिजौलिया को भेजी जाए। पत्रावली वास्ते P.O. पालगा दिनांक 18/5/23 को पेश हो।</p>	
8/5/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 8/5/23 को वास्ते P.O. पेश हो।</p> <p><i>govt</i> उप खण्ड अधिकारी</p>	
16/5/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में P.O. पालगा के लिए तहसीलदार बिजौलिया को लिखा गया। पत्रावली वास्ते के</p>	

में जारी	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
स्टिप्ट 1 7/23	27/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19/1/24 को वास्ते P.D. पा. पेश हो।  सप खण्ड अधिकारी	
स्टिप्ट 1 4/8/23	19/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/1/24 को वास्ते PD फ. पेश हो।  सप खण्ड अधिकारी	
स्टिप्ट 1 12/1/23	28/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 1/1/24 को वास्ते PD फ. पेश हो।  सप खण्ड अधिकारी	तहसीलदार बिजौलिया द्वारा PD वालगा प्राप्त हुई।
स्टिप्ट 1 12/1/23	14/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 1/1/24 को वास्ते PD फ. पेश हो। 9/1/24 सप खण्ड अधिकारी	
स्टिप्ट 1 12/1/23	1/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18/1/24 को वास्ते PD फ. पेश हो।  सप खण्ड अधिकारी	
स्टिप्ट 1 12/1/23	18/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/1/24 को वास्ते PD फ. पेश हो।  सप खण्ड अधिकारी	
स्टिप्ट 1 12/1/23	19/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/7/24 को वास्ते PD फ. पेश हो।  सप खण्ड अधिकारी	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम्न  
अहक  
हुक्म  
में

22/7/24 पत्रावली फेर इरी पत्रावली में निर्णय पृथक् से लिखवाया गया एवं आदेश खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली में डिफेंस सुटिंग की गई पत्रावली फेसबल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर वाबिल 24/7 हो।

3/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी - श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी  
प्रकरण संख्या 38 / 2019 दायर दिनांक 25.06.2019

अनवान

गिरीराज कोसरवाल पिता मांगीलाल जाति आदि गोड़ ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी दादाबाड़ी, कोटा जिला कोटा (राज0)

.....वादी

बनाम

1. सन्तोष देवी पत्नि शम्भूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. दुर्गा पुत्री प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. फाती पत्नि प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मदन पिता प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. फोरिया पिता प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. रमेश पिता प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. प्रकाश पिता प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. गुलाब देवी पत्नि घासीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जगतपुरा, जयपुर जिला-जयपुर(राज.)
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा - विद्वान अधिवक्ता वादीगण  
2. श्री दिनेश तम्बोली - अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05, 06

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक : 22/07/2024

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 20/04/2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर मौजा ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलिया में स्थित आराजी नं0 257/158 रकबा 1-05 बीघा कुल किता 1 रकबा 1-05 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सामलाती खातेदार हैं। वादी के 2/7 हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2023/1085 दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत किये। सलंगन पत्रावली है।

3  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	लगान
01	गिरीराज कोसरवाल पिता मांगीलाल आदि गोड़ ब्राम्हण सा. दादाबाडी कोटा	केशुविलास	257 / 158 / 1	0.07	0.18
	योग		किता 1	0.07	0.18
02	सन्तोष देवी पत्नि शम्भुलाल 1/5 तेली सा. बिजौलियां, फाती बेवा प्रभूलाल, मदन फोरिया रमेश पिता प्रभूलाल 2/5 दुर्गा पुत्री प्रभूलाल 1/5 तेली सा. देह, गुलाब देवी पत्नि घासीलाल 1/5 मीणा सा. जगतपुरा जयपुर खातेदार	केशुविलास	257 / 158 / 2	0.18	0.45
	योग		किता 01	0.18	0.45

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 22/07/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी - श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 38/2019

दायर दिनांक 25.06.2019

अनवान

गिरीराज कोसरवाल पिता मांगीलाल जाति आदि गोड ब्राम्हण उम्र वयस्क निवासी  
दादाबाडी, कोटा जिला कोटा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. सन्तोष देवी पत्नि शम्भूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. दुर्गा पुत्री प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. फाती पत्नि प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मदन पिता प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. फोरिया पिता प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. रमेश पिता प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. प्रकाश पिता प्रभूलाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी केशुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. गुलाब देवी पत्नि घासीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जगतपुरा, जयपुर जिला-जयपुर(राज.)
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 22/07/2024

डिक्री दिनांक : 22/07/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05, 06 श्री दिनेश तम्बोली हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मूर्तिब हों।

3  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकया (₹0)	लगान
01	गिरीराज कोसरवाल पिता मांगीलाल आदि गोड ब्राम्हण सा. दादाबाडी कोटा	केशुविलास	257 / 158 / 1	0.07	0.18
!	योग		किता 1	0.07	0.18
02	सन्तोष देवी पत्नि शम्भुलाल 1/5 तेली सा. बिजौलियां, फाती बेवा प्रभूलाल, मदन फोरिया रमेश पिता प्रभूलाल 2/5 दुर्गा पुत्री प्रभूलाल 1/5 तेली सा. देह, गुलाब देवी पत्नि घासीलाल 1/5 मीणा सा. जगतपुरा जयपुर खातेदार	केशुविलास	257 / 158 / 2	0.18	0.45
	योग		किता 01	0.18	0.45

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

नीज !.....Nil.....मुबलिया ..... Nil .....वाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2024 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 22/07/2024 को मुर्तिब की गई।

3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ( )	-		मेहनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीश्नर	-		फीस कमीश्नर	-	
वाबत् इजराय हुक्मनामा	-		वाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां